HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10925/2026
CNR: RJHC020589982026 | URN: CW / 24244U / 2026

M/s G.s. And Company, S-212 Ii Floor, Unnati Tower, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Through Its Proprietor Shri Gajendra Singh Shekhawat S/o Shri Kan Singh, Aged About 51 Years, R/o A-124, Mangal Vihar, Murlipura, Jaipur.

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Commissioner, Medical Education, Directorate Medical Education, In Front Of Mental Hospital, Janta Colony, Jaipur.
2. The Principal And Controller, Dr. S.n. Medical College And Associated Group Of Hospitals, Jodhipur.
3. M/s Lead Guard Service Pvt. Ltd., Jaipur Office At 312, Iii Floor, Vaishali Tower-1St Nursery Circle, Vaishali Nagar, Jaipur. Through Its Authorized Signatory.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Banwari Lal Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Yash Joshi for Mr. Vigyan Shah AAg Mr. N.K.Maloo Sr. Adv. with Mr. Aditya Goyal Mr. Pratyush Sharma

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

06/08/2026

अयाची संख्या–3 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि याचिकाकार की ओर से यह याचिका प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आयुक्त निदेशालय चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2026 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपील का आदेश पारित करते समय याचिकाकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा उनकी अनुपस्थिति में उक्त आदेश पारित कर दिया गया है। उनका तर्क है कि यदि दिनांक 16.06.2026 का आदेश अपास्त कर दिया जाता

है एवं प्रकरण को पुनः प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष गुणावगुण पर दोनों पक्षों को सुनकर निस्तारण करने हेतु प्रेषित कर दिया जाता है तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वे इसकी प्रार्थना करते हैं कि मामला दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु पुनः प्रेषित कर दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता याचिकाकार इस पर सहमत हैं। अयाची संख्या–1 व 2 के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री शाह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जोशी उपस्थित हैं, वे भी इस प्रकार का आदेश पारित कर प्रकरण को पुनः प्रेषित किए जाने पर सहमत हैं।

विचार किया गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया।

पक्षकारों की सहमति के आधार पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2026 अपास्त किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रकरण के सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त गुणावगुण पर अपील पर सुनकर विधिनुसार आदेश पारित करें।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सभी पक्षकार दिनांक 17.08.2026 को 11 एएम पर उपस्थित हों।

तदनुसार याचिका, स्थगन एवं अन्य प्रार्थना–पत्र यदि कोई हों तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

60/AJAY KUMAR SINGHAL